अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 56 / 2012

मो0 रिजवान एवं अन्य — अपीलार्थीगण

वनाम

बीबी रेहाना खातून — रेस्पोण्डेन्ट

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के आदेश दिनांकः 04.01.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 34 / 10 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में अन्दर मौजा–सिटानाबाद, थाना नं0 11 अंचलः सिमरीबख्तियारपुर, जिलाः सहरसा के खाता 645 खेसरा पुराना 2598, 2592 खेसरा नया 6565 एवं 6569 रकबा 1 कट्ठा 03 धुर 15 धुरकी चौहद्दी उत्तरः इबराम, दखिणः मोहममद सहजीद, पूरबः सड़क वो खरीददार एवं पश्चिमः मो0 नजीम वगैरह से संबंधित प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते है कि पुराना खतियान खाता पुराना 645 का रैयत अमीर खॉ वो वजीर खॉ, पे0– नबीब खॉ थे जिनकी खेसरा पुराना 2292, 2593, 2594, 2595, 2597 एवं 2598 कुल 7 खेसरा अन्तर्गत कुल रकबा 02 बीघा 08 कट्ठा थी जो नबीब खॉ के दोनों पुत्रों के बीच 01 बीघा 04 कट्ठा करके प्रत्येक को हिस्सा मिला वो दखलकार हुए। वजीर खॉ के तीन लड़के मो0 अदबीर, मो0 साहेब, मो0 हेदायत खॉ हुए जो वजीर खॉ को प्राप्त हिस्सा 1 बीघा 04 कट्ठा पर हकदार वो दखलकार हुए। मो0 अदबीर वो मो0 साहेब वो मो0 हेदायत भी आपस में विभक्त हो गए वो खेसरा 2592 वो 2598 अन्तर्गत 08 कट्ठा जमीन मो0 हिदायत के हक वो हिस्सा वो दखल में आया। मो0 हिदायत के लड़के मो0 कलीम वो मो0 सहजीद वो मो0 रज्जाक वो हकीम खेसारा 2592 वो 2598 की भूमि रकबा 08 कट्ठा पर हकदार वो दखलकार हुए। मो0 हिदायत के लड़के मो0 कलीम खॉ वो अब्दुल रज्जाक खॉ ने केवाला नं0 16280 दिनांक 19.11.79 ई0 को खाता पुराना 645 खेसरा पुराना 2592 खेसरा नया 6539 रकबा 04 डी0 वो खेसरा नया 6538 रकबा 04 डी0

इजमाल खानदान में बिकी कर दिये। उक्त दस्तावेज को निम्न न्यायालय द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/वादी के पिता के द्वारा की गयी बिकी को नजर अन्दाज करते हुए सिर्फ अपीलार्थी/विपक्षी के बिकेता के पति वो पिता के द्वारा बिकी करने की बात बताई गई, जिस आधार अपीलार्थी/विपक्षी के खरीदगी वो दखलकार के एराजी पर कानून के विपरीत आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी/विपक्षी को मो0 कलीम के पुत्र ने अपने हक वो हिस्से की जमीन रकबा 01 कट्ठा 13 धूर का जरबियानानामा दिनांक 28.04.2010 ई0 को अपीलार्थी/ विपक्षी के पक्ष में कर दिया वो सरजमीन पर दखल कब्जा दे दिया तथा जरबियानानामा के मुताबिक अपीलार्थी/ विपक्षी ने केवाला नं0 828 दिनांक 09.11.2010 ई0 केवाला दस्तावेज नं0 869 दिनांक 16.11.2010ई0 से केवाला कराकर दाखिल खारीज करवा लिये। आगे यह भी कथन करते है कि उत्तरवादी/वादी ने केवाला दस्तावेज नं0 7034 दिनांक 07.05.2010 ई0 को मो0 जाहिद हुसैन पिता मो0 अब्दुल रज्जाक बहक बीबी रहेना खातुन ने 01 कट्ठा 03 धूर 15 धूरकी अपने भाई से खरीद की। आगे यह भी कथन करते है कि उत्तरवादी/वादी के पिता ने 1979 ई0 में ही मो0 कलीम के साथ मिलकर अपने हिस्से की जमीन बिकी कर चुके थे वो शेष रकबा ही अपने बहन को बिकी करना चाहिए था जिस साक्ष्य को निम्न न्यायालय ने पूर्णतया नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत मो0 हेदायत खाँ के हिस्से में लगभग 08 कट्ठा जमीन थी वो वे अपने चार पुत्रों यथा मो0 कलीम, मो0 शहजीद, मो0 रज्जाक एवं मो0 हकीम में उक्त जमीन को बाँट दिया वो प्रत्येक को लगभग 2 कट्ठा जमीन हिस्से में आयी। आगे कथन करते है कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी ने 01 कट्ठा 03 धुर 15 धुरकी जमीन मो0 जाहीद हुसैन से क्रय की । मो0 रज्जाक के उत्तराधिकारी मो0 जाहिद रेस्पोण्डेन्ट/ वादी को अपने हिस्से की जमीन विक्रय दस्तावेज संख्या 7034 दिनांक 07.05.2010 से विकी कर दिया। बाद खरीदगी रेस्पोण्डेन्ट/वादी उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार है। आगे यह भी कथन करते है कि इसके विरूद्ध मो0 कलीम के उत्तराधिकारी 01 कट्ठा 13 धुर भूमि अपीलार्थी/विपक्षी को बिक्रय दस्तावेज संख्या 828 दिनांक 09.11.10 एवं 869 दिनांक 16.11.10 से बिकी कर दिया। रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी/ विपक्षी के विकेता के हिस्से में मात्र 01 कट्ठा 03 धुर जमीन बची, जिसे वे बेचने के अधिकारी थे परन्तु उनके द्वारा 01 कट्ठा 13 धुर जमीन बिकी की गयी जिससे रेस्पोण्डेन्ट के शांतिपूर्ण दखल में अशांति का कारण बना।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

21/11/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21/11/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा